

5803
08/10/15



संख्या- / जी०एस०/शिक्षा/A15-2/2015

का.अ.अ.अ.अ.
कर्मचारी हेतु
B.10-15

प्रेषक,

अरुण कुमार ढोंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 21 सितम्बर, 2015

महोदय,

कृपया हे०न०ब०चि०शि० विश्वविद्यालय के पत्र सं-553/एचएनबीयूएमयू/14-15 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 एवं शासन की पत्रावली संख्या-01(मे०का०)/15 (3991/XXVIII(a)/14) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है:-

क्र.स.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (सीट)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीकोट, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	एम०बी०बी०एस०	100	शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/हे०न०ब०चि०शि० विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फ़ैकल्टी स्टाफ़ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैंम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमश :2/..

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फ़ैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
9. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास बैंक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
12. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में हे0न0ब0चि0शि0 विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।
13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या- 2757 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A15-2/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. चिकित्सा शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(घनश्याम शर्मा)
उपसचिव।